



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 29.11.2023

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0स0- 539/23 धारा- 307/504 भादवि 3(2)(V) SC/ST ACT कोतवाली फतेहगढ़ से सम्बन्धित प्रकाश में आये 04 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया व 01 अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस बरामद ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ के मु0अ0स0- 539/23 धारा- 307/504 भादवि व 3(2)(V) SC/ST ACT में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.रामकृष्ण पुत्र परशुराम, 2.राजू यादव प्रधान पुत्र रामनारायण, 3.अरनेश पुत्र मुखराम, 4.श्याम बिहारी पुत्र रामबरन निवासीगण नगला दुर्गू ग्राम पंचायत सुन्दरपुर कोतवाली फतेहगढ़ को फतेहगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त रामकृष्ण उपरोक्त के कब्जे से 01 नाजायज तमंचा मय 01 कारतूस जिंदा बरामद किया गया।



घटना का विवरण - दिनांक 22.11.23 को श्री श्याम बिहारी पुत्र स्व० रामबरन निवासी ग्राम सुन्दरपुर कोतवाली फतेहगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि पिन्टू जाटव पुत्र स्व० कल्लू जाटव नि० ग्राम सलेपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को मनफूल, हरिश्चन्द्र, शिवरतन पुत्रगण वीरपाल सिंह व उमेश पुत्र हरिश्चन्द्र निवासीगण सुन्दरपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ द्वारा गोली मार कर घायल कर दिया है। सूचना पर कोतवाली फतेहगढ़ पर मु०अ०स०- 539/23 धारा- 307/504 भादवि व 3(2)(V) SC/ST ACT पंजीकृत किया गया विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.रामकृष्ण पुत्र परशुराम, 2.राजू यादव प्रधान पुत्र रामनारायण, 3.अरनेश पुत्र मुखराम, 4.श्याम बिहारी पुत्र रामबरन निवासीगण नगला दुर्गू ग्राम पंचायत सुन्दरपुर कोतवाली फतेहगढ़ के नाम प्रकाश में आये। दिनांक 29.11.2023 को रामकृष्ण आदि उपरोक्त 04 नफर अभियुक्तगण को कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिसमें अभियुक्त रामकृष्ण उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज तमंचा मय एक अदद कारतूस जिंदा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारअभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- रामकृष्ण पुत्र परशुराम निवासी ग्राम नगला दुर्गू ग्राम पंचायत सुन्दरपुर कोतवाली फतेहगढ़
- 2- राजू यादव पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम नगला दुर्गू ग्राम पंचायत सुन्दरपुर कोतवाली फतेहगढ़
- 3- अरनेश पुत्र मुखराम निवासी ग्राम नगला दुर्गू ग्राम पंचायत सुन्दरपुर कोतवाली फतेहगढ़
- 4- श्याम बिहारी पुत्र रामबरन निवासी नगला दुर्गू ग्राम पंचायत सुन्दरपुर कोतवाली फतेहगढ़

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण ने बताया कि जमीनी सम्बन्धी विवाद चल रहा था। जिसके कारण झगड़ा हो गया था।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1- रामकृष्ण पुत्र परशुराम -

1. मु०अ०स० 539/23 धारा 307/504 IPC व 3(2)(V)SC/ST ACT व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

2- राजू यादव पुत्र रामनारायण -

1. मु०अ०स० 539/23 धारा 307/504 IPC व 3(2)(V)SC/ST ACT थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

3.अरनेश पुत्र मुखराम-

1. मु०अ०स० 539/23 धारा 307/504 IPC व 3(2)(V)SC/ST ACT थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

4.श्याम बिहारी पुत्र रामबरन –

1. मु0अ0स0 539/23 धारा 307/504 IPC व 3(2)(V)SC/ST ACT थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 01 नाजायज तमंचा
- 3- 01 कारतूस जिंदा ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कोतवाली फतेहगढ़ टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री मो0 सरताज
- 2- हे0का0 इसरार हुसैन
- 3- का0 आर्य चौधरी
- 4- का0 सद्दाम हुसैन

मीडिया सेल फतेहगढ़

प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 29.11.2023

**थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को चोरी किये गये 01
अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराव आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 28.11.2023 को थाना शमसाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं० 277/2023 धारा 379 भादवि० से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त कल्लू पुत्र उमाशंकर निवासी ग्राम दुबरी थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ को चोरी किये गये 01 अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त कल्लू ने बताया कि मैं नशा करता हूँ मुझे पैसे की जरूरत पड़ी थी इसलिए मैंने दिनांक 19.11.2023 को ग्राम दुबरी में हो रही रामलीला में आगे बैठे व्यक्ति का फोन चुरा लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. कल्लू पुत्र उमाशंकर निवासी ग्राम दुबरी थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कल्लू उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 277/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण :-

- 01 अदद मोबाइल, INFINIX कंपनी ।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री लछिमन सिंह
3. का0 अर्जुन सिंह
4. का0 सुमित कुमार ।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राकेश पुत्र कामता प्रसाद निवासी भाऊटोला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 175/2016 वाद सं-43/2016 धारा- 376,511 भा०द०वि० व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 29.11.2023 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट जनपद फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त राकेश को 05 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।



डीजीसी श्री प्रदीप कुमार सिंह



कोर्ट मोहरीर म०का० स्वाती



पैरोकार का० नितिन कुमार





